(7) अगर कोई अभ्यर्थी भूतपूर्व–सैनिक, आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी या अल्पकालीन कमीशन अधिकारी होने के कारण आयु में छूट का दावा करता/करती है तो वह इस सम्बन्ध में प्रलेखी साक्ष्य पेश करेगा/करेगी।

In case of a candidate claiming relaxation in age on account of his/her being Ex-Serviceman, Emergency Commissioned Officer or Short Service Commissioned Officer, documentary evidence in this regard.

12. वह अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों अथवा शारीरिक रूप से अपंग कोटियों से सम्बन्धित होने का दावा करता/करती है, यदि वह मुख्य परीक्षा (लिखित) में सफल घोषित किया जाता है तो उसे परिणाम घोषित होने के दस दिनों के भीतर संयुक्त निबंधक (सतर्कता), दिल्ली उच्च न्यायालय को अपना मूल जाति/अपंगता प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।

A candidate, who claims to belong to Scheduled Castes / Scheduled Tribes or Physically Handicapped categories if declared successful in the Main Examination (Written), must submit the original caste/disability certificate to the Joint Registrar (Vig.), Delhi High Court within ten days of the declaration of the result.

13. अभ्यर्थी को सिवाय पाठयक्रम में अन्यथा इंगित सीमा के, सभी प्रश्नों/प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी भाषा में देने होंगे।

Candidate will be required to answer all questions/question papers in English, except to the extent otherwise indicated in the syllabus.

14. किसी भी प्रकार की सिफारिश या गलत साधनों के प्रयोग को अयोग्यता माना जाएगा।

Canvassing or use of unfair means in any form shall be considered a disqualification.

15. <u>आवेदन–पत्र के जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी के लिए जांचने योग्य सूची :–</u>

<u>Check list for the candidate before submission of the application form :-</u>

(i) आवेदन–पत्र में विहित स्थान पर पासपोर्ट आकार की फोटो, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित हो, तथा डी.जे.एस.ई. पंजीकरण फार्म में विहित स्थान पर पासपोर्ट आकार की फोटो (जो कि अनुप्रमाणित न हो) लगा दी गई है।

A passport size photograph (duly attested by a Gazetted Officer) on the Application Form and a passport size photograph (unattested) on the DJSE Registration Form has been affixed in the space provided therein.

(ii) सम्यक् रूप से भरे गए एवं हस्ताक्षरित डी.जे.एस.ई. पंजीकरण फार्म को इस प्रयोजन के लिए संलग्न किये गये लघु लिफाफे में डाल दिया गया है।

Duly filled in and signed DJSE Registration Form has been put in the smaller envelope provided for the purpose.

(iii) सब प्रकार से पूर्ण आवेदन–पत्र व लघु लिफाफा, जिसमें डी.जे.एस.ई. पंजीकरण फार्म रखा गया है, बडे लिफाफे जो कि संयुक्त–निबंधक (सतर्कता), दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली–110 503 को संबोधित है, में डाल दिया गया है।

The Application Form completed in all respects alongwith the smaller envelope containing the DJSE Registration Form has been put in the larger envelope addressed to the Joint Registrar (Vig.), High Court of Delhi, Sher Shah Road, New Delhi-110 503.

(iv) बड़ा लिफाफा इस प्रकार डाक द्वारा भेजा जाए या व्यक्तिगत रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के फाइलिंग काऊंटर पर दे दिया जाए कि वह आवेदन–पत्र प्राप्ति की विहित अन्तिम तिथि को या उससे पूर्व प्रेषिति के पास पहुंच जाए।

The larger envelope to be dispatched so as to reach the addressee or personally delivered at the Filing Counter of Delhi High Court on or before the last date prescribed for receipt of application forms.

महत्वपूर्ण सूचना/IMPORTANT NOTICE

1. डी.जे.एस.ई. पंजीकरण फार्म को स्टेपल, पिन, नत्थी, कुलेख, फाड़ना, गीला करना अथवा क्षति पहुंचाना मना है क्योंकि इसका कम्प्यूटर द्वारा सीधे स्कैन किया जाना है।

Do not staple, pin, tag, scribble, tear, wet, soil or damage the application form, particularly the DJSE Registration Form, because it is required to be directly scanned by the Computer.

2. बड़े लिफाफे में रखते समय, छोटे लिफाफे को, जिसमें डी.जे.एस.ई. पंजीकरण फार्म रखा गया हो, आवेदन पत्र के साथ पिन तथा स्टेपल न लगायें और न ही नत्थी करें।

The smaller envelope containing the DJSE Registration Form must not be pinned, stapled or tagged with the Application Form while being put in the larger envelope.

भाग–II/PART-II

1. दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा दो उत्तरोत्तर चरणों में होगी :–

Delhi Judicial Service Examination will be held in two successive stages :-

(i) दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (25% नकारात्मक अंकों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार की), मुख्य परीक्षा में चयन हेतु, एवं

Delhi Judicial Service Preliminary Examination (Objective Type with 25% negative marking) for selection for the Main Examination, and

(ii) दिल्ली न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित), मौखिक परीक्षा में बुलाये जाने हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु।

Delhi Judicial Service Main Examination (Written) for selection of candidates for calling for Viva-voce.

2. अभ्यर्थी को चाहिए कि अपनी पेन्सिल/कलम तथा स्याही अपने साथ लाएं, लेकिन उसके अलावा कोई अन्य सामग्री जैसे कि नोट्स, खुले कागज़ आदि परीक्षा भवन में नहीं लाएं।

The Candidate should bring his/her own pencil/pen and ink but not any other articles such as notes, loose sheets etc. into the Examination Hall.

3. प्रारम्भिक परीक्षा एक प्रकार का स्क्रीनिंग टैस्ट होगा जिसमें अनेक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों वाला एक 200 अंकों का पेपर होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में, उम्मीदवारों का सामान्य ज्ञान एवं कौशल, उम्मीदवार की अभिव्यक्ति की क्षमता, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधिक समस्याओं का ज्ञान एवं हल जो कि भारतीय संविधान, दिवानी प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, संविधा अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, मध्यस्थता विधि सम्बन्धित सिद्धांत, साक्ष्य अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एवं परिसीमा अधिनियम पर आधारित प्रश्न शामिल किए जाएगें।

The Preliminary Examination will be a Screening Test and will consist of one paper of multiple objective type questions carrying maximum of 200 marks. In the Preliminary Examination, questions on general knowledge and aptitude of the candidate, candidate's power of expression, flair in english, knowledge of objective type legal problems and their solutions covering Constitution of India, Code of Civil Procedure, Criminal Procedure Code, Indian Penal Code, Contract Act, Partnership Act, Principles Governing Arbitration Law, Evidence Act, Specific Relief Act and Limitation Act will be included.

4. प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 60 प्रतिशत एवं आरक्षित कोटियों के उम्मीदवारों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा शारीरिक रूप से अपंग (दृष्टिहीन/अल्प दृष्टि) (गतिशीलता बाधित न हो)/विकलांगों के लिए 55 प्रतिशत निर्धारित है। तथापि, मुख्य परीक्षा (लिखित) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक कोटी की विज्ञापित रिक्तियों की संख्या का 10 गुणा से अधिक नहीं होगी।

Minimum qualifying marks in the Preliminary Examination shall be 60% for General and 55% for Reserved Categories i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Physically Handicapped (Blind/Low Vision) (Mobility not to be restricted)/Orthopaedically. However, the number of candidates to be admitted to the Main Examination (Written) will not be more than Ten times the total number of vacancies of each category advertised.

5. मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्रवेश हेतु घोषित योग्य उम्मीदवारों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंक उनकी योग्यता क्रम निर्धारित करने हेतु नहीं गिने जायेंगे। The marks obtained in the Preliminary Examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.

6. मुख्य परीक्षा (लिखित), अनुदेशों के भाग–III में निर्धारित पाठयक्रम के अनुसार होगी। The Main Examination (Written) will be as per the syllabus prescribed in Part III of the Instructions.

भाग–III / PART-III

मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु पाठ्यक्रम / SYLLABUS FOR MAIN EXAMINATION (WRITTEN)

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्नलिखित विषयों पर आधारित प्रश्न–पत्र होंगे (प्रत्येक विषय का प्रश्न–पत्र उसके सामने दर्शाये गये अधिकतम अकों का होगा):–
The Main Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):-

क्रमांक Sl.No.	विषय Subject	अधिकतम अंक / Max. Marks
1.	सामान्य ज्ञान एवं भाषा General Knowledge and Language	250
2.	दीवानी विधि–I Civil Law-I	200
3.	दीवानी विधि–II Civil Law-II	200
4.	दण्ड विधि Criminal Law	200

1. **सामान्य ज्ञान एवं भाषा** : इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे।
General Knowledge and Language : This paper shall comprise of two sections.

भाग **I** : **सामान्य ज्ञान** : इसके द्वारा सामयिक विषयों इत्यादि के बारे में अभ्यर्थी की जानकारी की जांच की जाएगी। **(100 अंक)**

Section I : General Knowledge : This is to test the candidate's knowledge of current affairs etc. **(100 Marks)**

भाग **II** : **भाषा (निबन्ध, अनुवाद एवं सारांश लेखन–कला)** : इसके द्वारा अभ्यर्थी की अंग्रेजी में अभिव्यक्ति एवं ज्ञान की जांच की जाएगी। अभ्यर्थी की गुण सम्पन्नता पर विचार करने में सारांश एवं अभिव्यक्ति दोनों का आंकलन किया जायेगा। इसके विपरीत खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण दोष तथा शब्दों इत्यादि के कुप्रयोग करने पर अंकों में कटौती की जायेगी। अनुवाद करने हेतु दो उद्वरण दिये जायेंगे जिनमें से एक अंग्रेजी में होगा जिसका हिन्दी (देवनागरी लिपि में) अनुवाद अपेक्षित होगा। दूसरा उद्वरण हिन्दी (देवनागरी लिपि में) होगा जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना अपेक्षित होगा। **(150 अंक)**

Section II : Language (Essay, Translation and Precis Writing) : This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely, deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translation, one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script). The Second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English. **(150 marks)**

2. **दीवानी विधि–I** : भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, हिन्दू विधि, मुस्लिम विधि, दिल्ली किराया नियन्त्रक अधिनियम तथा अपकृत्य विधि। **(200 अंक)**
Civil Law-I : Indian Contract Act, Indian Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, Specific Relief Act, Hindu Law, Mohammaden Law, Delhi Rent Control Act and Law of Torts. **(200 marks)**

3. **दीवानी विधि–II**: दिवानी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य विधि, परिसीमा विधि एवं पंजीकरण विधि **(200 अंक)**
Civil Law-II : Civil Procedure Code, Law of Evidence, Law of Limitation & Law of Registration. **(200 marks)**

4. **दण्ड विधि** : दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। **(200 अंक)**
Criminal Law : Criminal Procedure Code, Indian Penal Code & Indian Evidence Act. **(200 marks)**

भाग–IV / PART-IV

मौखिक परीक्षा / Viva-Voce

1. मौखिक परीक्षा के 150 अंक होंगे। मौखिक परीक्षा के लिए केवल उन्ही अभ्यर्थीगण को बुलाया जाएगा जिन्हें प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हों। किन्तु जहाँ तक आरक्षित कोटियों के उम्मीदवारों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा शारीरिक रूप से अपंग (दृष्टिहीन / अल्प दृष्टि) (गतिशीलता बाधित न हो) / विकलांगों का सम्बन्ध है उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक तथा कुल मिलाकर 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
Viva-voce will carry 150 marks. Only such candidates will be called for Viva-voce who have obtained 40% marks in each written paper and 50% marks in aggregate except in the case of candidates belonging to reserved categores i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Physically Handicapped (Blind/Low Vision) (mobility not to be restricted)/Orthopaedically in whose case the qualifying marks shall be 35% in each written paper and 45% in the aggregate.

2. सेवा में नियुक्ति हेतु संस्तुत किये जाने के लिए मौखिक परीक्षा में सामान्य कोटी के उम्मीदवारों का आवश्यक रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हता अंक तथा आरक्षित कोटियों के अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं शारीरिक रूप से अपंग (दृष्टिहीन / अल्प दृष्टि) (गतिशीलता बाधित न हो) / विकलांग उम्मीदवारों का आवश्यक रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अर्हता अंक प्राप्त करने होंगे।
A candidate of General Category must secure minimum 50% marks and a candidate of Reserved Category i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Physically Handicapped (Blind/Low Vision) (mobility not to be restricted)/Orthopaedically must secure minimum 45% marks in Viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.

3. मौखिक परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्राप्त हुए अंकों में जोड़ दिए जायेंगे तथा दोनों को जोड़ने से प्राप्त अंकों के अनुसार अभ्यर्थी का योग्यताक्रम निर्धारित किया जाएगा।
The marks obtained in the Viva-voce will be added to the marks obtained in the Main Examination (Written) and the Candidate's position will depend on the aggregate of both.

(संगीता ढींगरा सहगल)
महानिबंधक
(SANGITA DHINGRA SEHGAL)
REGISTRAR GENERAL